न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 156 / 2024
दायर दिनांक :– 12.09.2024

अनवान

1. छोटी पुत्री हीरा कुम्हार नि. रलायता तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।

.... प्रार्थी

बनाम

1. दीपक पिता बंशी दरोगा नि. रलायता तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
2. शैरू पिता छोटू दरोगा नि. रलायता तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
3. इन्द्रा पत्नि राधाकिशन दरोगा नि. रलायता तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
4. जगदीश पिता नन्दा दरोगा नि. रलायता तहसील फूलिया:कलां जिला भीलवाडा।
5. भूरी पत्नि रतन दरोगा नि. रलायता तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
6. महावीर पिता रतन दरोगा नि. रलायता तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा।
7. सीमा पुत्री राधाकिशन नाबालिग माता इन्द्रा दरोगानि. रलायता तहसील फूलियाकलां
8. शाखा प्रबंधक, आई सी आई सी आई बैंक शाखा गुलाबपुरा तहसील फूलिया कलॉ
9. शाखा प्रबंधक, आई सी आई सी आई बैंक शाखा फुलियाकलां तहसील फूलिया कलॉ
10. शाखा प्रबंधक, बैंक आफ बडौदा शाखा फुलियाकलां तहसील फूलिया कलॉ
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री शिवराज शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण

:: **निर्णय** :: दिनांक 24.09.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 12.09.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा रलायता पटवार मण्डल रलायता तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 1088 प्रार्थी के शामलाती खाते में सहखातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थी की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण वर्षो से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 से 07 की आराजी संख्या 1090, 1091, 1085 में से नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कराया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलॉ, जिला–भीलवाडा

अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 1090, 1091, 1085 में से 20 फिट नवीन रास्ता किस्म रास्ता दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 01 व 07 बावजुद सुचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी सं. 01 व 07 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की आराजी न. 1088 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार फूलियाकलां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार फूलियाकलां ने जरिये पत्र दिनांक 26.08.2025 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थीगण की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 1090, 1091, 1085 में से रास्ता देने पर 0.0472 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी की जोत आ.न. 1088 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, क्योंकि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता अवरूद्व कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबधित विधिक प्रावधान निम्नानुसार है किं

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि खातेदारों के बीच मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
4. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
5. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार फुलियाकलां की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 1088 में आने जाने हेतु ख. न. 1090, 1091, 1085 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार फुलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आ.न. 1088 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकोर्ड नही है। एवं प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आवागमन हेतु आराजी सं. 1090, 1091, 1085 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर

उपखण्ड अधिकारी
फुलिया कलां, जिला–भीलवाड़ा

पहुँचता है कि प्रार्थी की आ.न. 1088 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता दोनो आराजी की माठ माठ पर है। अतः वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम रलायता प. ह रलायता भु अभि. नि. धनोप तहसील फुलियाकलां में आ. न. 1088 में आने जाने के लिये आ. न. 1090, 1091, 1085 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु आ.न. 1090, 1091, 1085 में से रास्ता 0.0128, 0.0104, 0.0240 देने पर कुल 0.0472 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तहसीलदार फुलियाकला की रिपोर्ट इस आदेश का अभिन्न भाग है। तथा आ. न. 1090, 1091, 1085 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0472 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला-भीलवाडा
फूलियाकला (भीलवाडा)